हिंदी वर्तनी का मानकीकरण

राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिंदी की वर्तनी की विभिन्न समस्याओं पर विचार–विमर्श कर उनके निराकरण और वर्तनी में एकरूपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1961 में विभिन्न भाषाविदों की एक समिति नियुक्त की। समिति ने अप्रैल, 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया।

सरकार ने हिंदी वर्णमाला, अंकों तथा वर्तनी का जो मानक स्वरूप निर्धारित किया है, वह इस प्रकार है :–

स्वर	व्यंजन
अ आ इ ई उ ऊ ऋ	क ख ग घ ङ
ए ऐ ओ औ	च छ ज झ ञ
अनुस्वार - अं	ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़
अनुनासिक – अँ	त थ द ध न
विसर्ग – अः	प फ ब भ म
	य र ल व ळ
	श ष स ह
	संयुक्त व्यंजन – क्ष त्र ज्ञ श्र
	गृहीत स्वन – ऑ ख़ ज़ फ़

संयुक्त वर्ण

खड़ी पाई वाले व्यंजन :-

खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाएगा :-

ख्याति लग्न विघ्न कच्चा छज्जा ✓

उत्तर कुत्ता पथ्य ध्वनि न्यास ✓

प्यास शय्या उल्लेख राष्ट्रीय त्र्यंबक ✓

कुत्ता उक्त आदि नहीं।

अन्य व्यंजन :-

'क' और 'फ' के संयुक्ताक्षर :-

संयुक्त पक्का दफ्तर ✓

संयुक्त पक्का आदि नहीं।

ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिह्न लगाकर ही बनाए जाएं :–

सही

वाङ्मय लट्टू, बुड्ढ़ा विद्या चिह्न ब्रह्मा आदि ✓

गलत

वाङ्मय लट्टू बुड्ढा विद्या चिह्न ब्रह्मा जैसे नहीं

संयुक्त 'र' के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे :-

प्रकार राष्ट्र धर्म

'श्र' का प्रचलित रूप ही मान्य है। इसे श्र के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त्+र के संयुक्त रूप के लिए

त्र और त्र

दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग पर छूट होगी।

हल चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर

हल चिह्न युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ "इ" की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, जैसे –

कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित, ✓

द्विवेदी, विद्वान, विद्यालय, वृद्ध ✓

कुट्टिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित, द्विवेदी नहीं

संस्कृत में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकते हैं, जैसे –

चिह्न, विद्या, बुद्धिमान, विद्वान, द्विवेदी

अनुस्वार का प्रयोग

संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचमाक्षर के बाद सवर्गीय (उसी वर्ग के) शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता के लिए अनुस्वार (ं) का ही प्रयोग किया जाएगा, जैसे – गंगा, चंचल, संध्या, घंटा, संपादक, संबंध आदि के बाद में उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार (ं) का ही प्रयोग किया जाएगा।

गङ्गा, चञ्चल, ठण्डा, सन्ध्या, घण्टा, घन्टा, सम्पादक, सम्बन्ध नहीं

संयुक्त व्यंजन के रूप में यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे –
वाङ्मय, अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्मय, उन्मुख आदि

वांमय, अंय, अंन, संमेलन, संमति, चिंमय, उंमुख नहीं

श्रुतिमूलक "य" तथा "व" का प्रयोग

जहाँ श्रुतिमूलक "य" तथा "व" का प्रयोग विकल्प से होता है, वहाँ न किया जाए, अर्थात

किए-किये, नई-नयी, हुआ-हुवा, लिए-लिये, हुए-हुये

उपर्युक्त शब्दों में पहले (स्वरात्मक) रूपों का ही प्रयोग किया जाए।

यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए।

जहाँ श्रुतिमूलक "य" व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे -

स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि

विदेशी ध्वनियां

अरबी-फारसी या अंग्रेजी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं, जैसे -

कलम, किला, दाग आदि।

क़लम, क़िला, दाग़ नहीं

शब्दों के दो-दो रूप

हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिनके दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वानों ने दोनों रूपों को मान्यता प्रदान की है, किंतु एक संदर्भ में इनके एक ही रूप का प्रयोग किया जाए -

गरदन-गर्दन, गरमी-गर्मी, बरफ-वर्फ, बिलकुल-बिल्कुल, सरदी-सर्दी, कुरसी-कुर्सी, भरती-भर्ती, फुरसत-फुर्सत, बरदाश्त-बर्दाश्त, वापिस-वापस, आखीर-आखिर, बरतन-बर्तन, दोबारा-दुबारा, दुकान-दूकान, बीमारी-बिमारी] सारणी-सारिणी

हल चिह्न

संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिह्न लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न न किया जाए, जैसे –

महान, विद्वान, श्रीमान आदि

महान्, विद्वान्, श्रीमान् नहीं

स्वन परिवर्तन

संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए। अतः ब्रह्मा को ब्रम्हा, चिह्न को चिन्ह, उऋण को उरिण में बदलना उचित नहीं है।

इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्राह्य नहीं है।

इसके स्थान पर गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए।

जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है। जैसे – अर्द्धर्ध/अर्द्ध – अर्ध
उज्ज्वल – उज्वल तत्त्व – तत्व

विभक्ति चिह्न

हिंदी के विभक्ति चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादक से अलग लिखे जाएं, जैसे–

राम ने, श्याम को, मोहन से आदि।

किंतु सर्वनाम शब्दों में ये चिह्न प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे –

उसने, उसको, उससे आदि।

क्रिया पद

संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग–अलग लिखी जाएं, जैसे –

पढ़ा करता है, आ सकता है, खेला करेगा, बढ़ते चले आ रहे हैं आदि

पूर्णकालिक प्रत्यय

पूर्णकालिक प्रत्यय ''कर'' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे –

मिलाकर, आकर, सोकर आदि

अन्य नियम

जब किसी संज्ञा शब्द में ''इक'' प्रत्यय जोड़ते हैं तब उसके प्रारंभ के ''अ'' स्वर को दीर्घ ''आ'' कर देते हैं, जैसे –

समाज से सामाजिक, व्यवहार से व्यावहारिक, व्यवसाय से व्यावसायिक, प्रकृति से प्राकृतिक, स्वभाव से स्वाभाविक तथा अर्थ से आर्थिक

विसर्ग केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, हिंदी के शब्दों में नहीं। अतः छः को छह लिखना शुद्ध है।

वकारांत ध्वनि का प्रयोग हिंदी में लगभग समाप्त हो गया है, अतः उनका प्रयोग न किया जाए, जैसे –

हुवा, कौव्वा, गुरुवों, शिशिवों, भालुवों आदि

जब किसी क्रिया के अंत में ''गे'' हो तो उसके पहले ''ए'' की मात्रा पर सदा अनुस्वार (बिंदी) रहेगा, जैसे –

करेंगे, खेलेंगे, आएंगे, पढ़ेंगे, जाएंगे आदि

यदि क्रिया में ''गे'' से पहले ''ओ'' की मात्रा हो तब अनुस्वार नहीं लगता है, जैसे–
करोगे, बचोगे, पढ़ोगे आदि
इसका केवल एक अपवाद है – ''होंगे''

अन्य नियम

अंग्रेजी शब्दों के बहुवचन रूप हिंदी की प्रकृति के अनुसार डॉक्टरों, हालों, कालों आदि होना चाहिए, न कि डॉक्टर्स, हाल्स, काल्स आदि।

इसी तरह अरबी–फारसी शब्दों के बहुवचन भी मामलों, कागजों आदि होना चाहिए न कि मामलात, कागजात आदि

ड और ढ का प्रयोग

शब्द के आरंभ में – डर, डिब्बा, डाली, ढक्कन

संयुक्त व्यंजन में – अड्डा, गुड्डी, बुड्ढा

अनुस्वार के बाद – अंडा, भंडार, मंडल, ठंडा

उपसर्ग के बाद – निडर, सुडौल, निढाल

विदेशी शब्दों में – रोड, बेडरूम, सोडा

ड़ और ढ़ का प्रयोग

स्वरों के मध्य में – गाड़ी, रोकड़िया, चढ़ाई

शब्द के अंत में – जोड़, पेड़, जड़, रीढ़

अनुनासिकता के बाद – साँड़, ढूँढ़ना, सूँड़

अन्य नियम

शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।

फुलस्टॉप को छोड़कर शेष विराम आदि चिह्न वही ग्रहण कर लिए जाएं, जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं।

पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए।

पैराग्राफों का विभाजन

देखने में आया है कि पैराओं और उप पैराओं का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के **A, B, C** अथवा **a, b, c** के स्थान पर कहीं क, ख, ग तथा कहीं अ, आ, इ और कहीं अ, ब, स, द का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि हिंदी में सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए।

विषय के विभाजन, उप विभाजन, पैराओं या उप पैराओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंकों अर्थात 1, 2, 3 के प्रयोग के साथ–साथ आवश्यकता के अनुसार रोमन **i, ii, iii** का भी प्रयोग किया जा सकता है।